



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र
Prof. Chittaranjan Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-230902

पत्रांक : स्था/ 3913 /2014/म.ग.अ.हि.वि.
दिनांक 13 /11/2014

परिपत्र

समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मियों एवं विद्यार्थियों, के उपचार हेतु विश्वविद्यालय परिसर स्थित अस्पताल में डॉ. अर्चना जाधव, स्त्री रोग चिकित्सा अधिकारी तथा डॉ. हेमन्त राधाकिसन धामट, सामान्य चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार उपलब्ध रहेंगे-

क्र.सं.	नाम	दिन	समय
1.	डॉ. अर्चना जाधव, स्त्री रोग चिकित्सा अधिकारी	मंगलवार से शनिवार	प्रातः 11:00 से 01:00 बजे तक
2.	डॉ. हेमन्त राधाकिसन धामट, सामान्य चिकित्सा अधिकारी	सोमवार से शुक्रवार	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक

उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी उक्त समय सारिणी अनुसार उपस्थित रहेंगे और रोगी से किसी भी प्रकार का चिकित्सा शुल्क एवं दवा खर्च नहीं लेंगे।


(चित्तरंजन मिश्र)

प्रति-

1. डॉ. अर्चना जाधव, स्त्री रोग चिकित्सा अधिकारी
2. डॉ. हेमन्त राधाकिसन धामट, सामान्य चिकित्सा अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
6. समस्त विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
7. लीला विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. जनसंपर्क अधिकारी को समस्त कर्मियों को ई-मेल करने हेतु।
9. सूचना पट्ट
10. गार्ड फाइल